

प्रेषक,

डॉ अनिता भट्टाचार्य जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग

लखनऊ : दिनांक २५ दिसम्बर 2016

विषय :- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 में संशोधन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के पश्चात् 27 दिसम्बर, 2007 के सन्दर्भ में लक्ष्मीगढ़ राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्यालियर का खेल अधिकारी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला से संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के समकक्ष माने जाने विषयक अपने पत्र संख्या- जी०- १११८/स्थाइक०/एल०एन०आई०प०इ०/२००७-०८, दिनांक ०३ नवम्बर 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

२- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का दिलचारी है कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में खेल निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 में द्वितीय संशोधन करते हुए खेल निदेशालय अधीनस्थ या नियमावली, 2016 का निम्न प्रारूप के अनुसार संशोधित किया जाता है :-

अधिसंचाना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 में संशोधन करते की दृष्टि से निम्नलिखित वियमावली द्वारा तैयार की गयी अपेक्षा के क्रम में खेल निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2016 का निम्न प्रारूप के अनुसार संशोधित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016

संशोधन भूमि आरपारम्भ १. (१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम ८ का प्रतिस्थापन २. उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 में नीचे स्तम्भ १ में दिये गये विद्यमान नियम ८ के स्थान पर स्तम्भ २ में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

वर्तमान नियम

शैक्षणिक अंहता

४

१- क्रीडाधिकारी :-

यथासंशोधित नियम

शैक्षणिक अंहता

४

१- क्रीडाधिकारी :-

१- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर वी आवश्यकता नहीं है।

२- इस शासनादेश की प्रमाणिकता ये वेब साइट <http://shashanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(P.G.D.S.C)

अनिवार्य

- I. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक
- II. एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व किया हो
- III. राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला से प्रशिक्षण (कोचिंग) में डिप्लोमा
- IV. खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का 02 वर्ष का अनुभव

अधिमानी :-

- I. राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

उप क्रीड़ाधिकारी

आविदाय

- I. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक खिलाड़ी के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो
- III. राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला से प्रशिक्षण (कोचिंग) में डिप्लोमा
- IV. प्रशिक्षण कोचिंग का दो वर्ष का अनुभव

अधिमानी :-

- I. दूर्नामेन्ट आयोजित किये

अनिवार्य

- I. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक
- II. सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बेगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ज्यालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा
- III. दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव

अधिमानी :-

- I. खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव
- II. शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र

उप क्रीड़ाधिकारी :-

अनिवार्य

- I. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक
- II. सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बेगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ज्यालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इसपर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता ये ब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जाने में एक वर्ष का अनुभव
II. शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा
का प्रमाण-पत्र

समकक्ष ऐसे सभी संस्थान
जो कि समय-समय पर
भारत सरकार द्वारा मान्यता
प्राप्त हो, से डिप्लोमा

III. दो वर्ष का कोचिंग का
अनुभव

अधिमानी :-

I. खेल प्रतियोगिताएं
आयोजित करने का पाक
वर्ष का अनुभव

II. शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा
या प्रमाण-पत्र

सहायक प्रशिक्षक :-

अनियार्य

- I. किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से स्नातक
- II. राष्ट्रीय खेल संस्थान
पटियाला से प्रशिक्षण में
डिप्लोमा
- III. एक खिलाड़ी के रूप में
अन्तर विश्वविद्यालय खेल
प्रतियोगिताओं में विश्व
विद्यालय टीम का
प्रतिनिधित्व अवश किया हो
या अखिल भारतीय विद्यालय
खेल प्रतियोगिताओं में राज्य
के विद्यालय टीम का
प्रतिनिधित्व

अधिमानी :-
शारीरिक शिक्षा में
डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र.
" परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों के
मामले में जिन्होंने
अन्तर्राष्ट्रीय खेल
प्रतियोगिताओं में एक
खिलाड़ी के रूप में भाग
लिया हो, उनकी शैक्षिक
योग्यता में इंटर भीड़एट
तक की छूट दी जा सकती
है। "

सहायक प्रशिक्षक :-

अनियार्य

I. किसी मान्यता प्राप्त विश्व
विद्यालय से स्नातक

II. सुसंगत खेल में प्रशिक्षण
(कोचिंग) में नेता द्वी
सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान
पटियाला, बैंगलोर,
कोलकाता, लक्ष्मीवाई
राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा
संस्थान चिट्ठोन्दम,
लक्ष्मीवाई राष्ट्रीय शारीरिक
शिक्षा संस्थान, ग्यालियर
और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय
खेल संस्थान पटियाला के
समकक्ष ऐसे सभी संस्थान
जो कि समय-समय पर
भारत सरकार द्वारा मान्यता
प्राप्त हों, से डिप्लोमा

III. दो वर्ष का कोचिंग में
अनुभव

अधिमानी :-

I. खेल प्रतियोगिताएं
आयोजित करने का 01 वर्ष
का अनुभव

II. शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा
या प्रमाण-पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अन: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कृपया, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्यालियर का खेल प्रशिक्षण में स्नातकोन्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला से संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के समकक्ष गाने जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय भूषीनस्थ सेया (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के अनुसार कार्यवाही करें।

भवदीया,

(डा० अनिता भटनागर जैन)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2662 (1)/वयालिस-2016-तदिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आयशक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1)- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2)- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3)- प्रगुण सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4)- अवर सचिव, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (5)- उप कुलपति, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्यालियर।
- (6)- निदेशक, राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला/बंगलुरु/कोलकाता।
- (7)- गांडे फाईल/कम्प्यूटर प्राप्ति।

गाजा। स.
(अनिता भटनागर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इसपर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।